**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2926**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा**

**†2926. श्रीमती छाया वर्माः**

 **श्री विशम्भर प्रसाद निषादः**

 **चौधरी सुखराम सिंह यादवः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) उत्तर प्रदेश में कासगंज साम्प्रदायिक हिंसा के बाद उपजे सवालों के समाधन हेतु सरकार ने ऐसे तत्वों से निपटने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और**

**(ख) कथित संगठनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, समाज में आतंक न फैले तथा भाईचारा एवं सद्भाव अप्रभावित बना रहे?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं । सांप्रदायिक हिंसा सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने और संगत आंकड़ों का रख-रखाव करने की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। गिरफ्तार/दोषसिद्ध व्यक्तियों, संलिप्त व्यक्तियों/संगठनों के विरुद्ध की गई कारवाई आदि से संबंधित ब्यौरा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

-2-

राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 2926

तथापि, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के सम्बन्ध में समय समय पर आसूचना साझा करने, अलर्ट सन्देश भेजने, परामर्शी-पत्र जारी करने आदि जैसे विभिन्न तरीकों से सहायता पहुंचाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार, विशेष रूप से सांप्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए गठित कंपोजिट रैपिड एक्शन फोर्स सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भेजती है।

      केंद्र सरकार ने वर्ष 2008 में साम्प्रदायिक सद्भावना संबंधी संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ, सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा की कई संभावित घटनाओं को रोकने और उनका अनुमान लगाने के लिए समुचित सतर्कता बरतना, सावधानीपूर्वक योजना तैयार करना और प्रारंभिक उपाय करना है। तत्काल संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर विशेष रूप से विभिन्न उत्सवों से पूर्व परामर्शी-पत्र भेजते समय इन दिशानिर्देशों को दोहराया जाता है।

\*\*\*\*\*